



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

संचरण अवर प्रमण्डल, चतरा

ईमेल:-aeetkhorigss@gmail.com

पत्रांक: 235./प्रबंधक/सं0अ0प्र0, चतरा

दिनांक: 04/02/2021

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

विषय: प्रस्तावित 132/33 के० वी० डबल सर्किट चतरा से हण्टरगंज द्विपद संचरण लाइन का संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग: 1) आपका पत्रांक संख्या 186 दिनांक 12/01/2021.

2) वन प्रस्ताव सं० FP/JH/TRANS/50112/2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है के प्रस्तावित 132/33 के० वी० डबल सर्किट चतरा से हण्टरगंज द्विपद संचरण लाइन का ऑन लाईन प्रस्ताव FP/JH/TRANS/50112/2020 dated 06.11.2020 को आपके कार्यालय में जमा किया गया था। आपके द्वारा अपेक्षित त्रुटियों एवं माँगे गये अभिलेखों को आपके निर्देशानुसार प्रस्ताव में संलग्न कर आपके कार्यालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है जो निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	अपेक्षित	अनुपालन	अभियुक्ति
1.	पार्ट - 1 के कंडिका B - 1 में Proposal Submitted in Past कॉलम में मात्र डाढ़ा ग्रिड सबस्टेशन निर्माण की स्वीकृति के पूर्ण विवरण अंकित है जबकि उनके अन्तर्गत 220 के० वी० चतरा से पकरीबरवाडीह बकागाँव एन० टी० पी० सी० एक चतरा से लातेहार तक एवं एदला में ग्रिड सबस्टेशन निर्माण इत्यादि इसी प्रमण्डल अन्तर्गत पड़ने वाले परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है जिसकी विवरणी अंकित करना अनिवार्य था जो नहीं है। ऐसे ही हजारीबाग रीजन अन्तर्गत कई परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होगी जिसकी विवरणी भी अंकित करना अनिवार्य है।	प्रस्ताव को ऑनलाइन आवेदन के समय Proposal Submitted in Past में डाढ़ा ग्रिड सबस्टेशन निर्माण को Automatically ले लिया गया है। अन्य परियोजनाओं का Entry करने का विकल्प ही नहीं है।	
2.	पार्ट - 1 के कंडिका B-2.3 में अंकित मौजावार ब्रेकअप का अवलोकनोपरांत पाया गया के प्रारम्भ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण से अन्त तक के क्रमवार में मौजावार ब्रेकअप अंकित नहीं है, अंकित किया जाए।	मौजावार ब्रेकअप अंकित कर दिया गया है।	
3.	पार्ट - 1 के कंडिका C-(ii)(b) में इस प्रमण्डल अन्तर्गत Number of Segment - One अंकित है जबकि Geo-reference Map एवं Cadastral Map पर दिखाये गए ट्रांसमिशन लाइन रूट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इसमें Number of Segment एक से अधिक है ऐसी स्थिति में Patchwar रकबा के साथ Number of Segment अंकित करते हुए KML file upload करना अनिवार्य है।	Segment wise KML file अपलोड कर दिया गया है।	Annexure-28

प्रमण्डल कार्यालय: विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, संचरण प्रमण्डल, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, प्रथम तल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स निकट मोंटफोर्ट स्कूल, कनहरी हिल रोड, हजारीबाग।

पंजीकृत कार्यालय: झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड भवन, कुसई कॉलोनी, डोरन्डा, राँची-

834002

क्रम सं०	अपेक्षित	अनुपालन	अभियुक्ति
4.	प्रस्ताव के साथ भारत / राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त लगाया जाएगा जो मान्य होगा से संबंधित Undertaking संलग्न नहीं है।	Undertaking संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-09
5.	अपयोजित वनभूमि में सन्निहित गैरमजरुआ जंगल झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है।	अपयोजित वनभूमि में सन्निहित गैरमजरुआ जंगल झाड़ी भूमि का उपायुक्त, चतरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पत्रांक सं० 24/उपमहाप्रबंधक/सं० अ० ह० दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुरोध की जा चुका है। उक्त सम्बन्ध में Undertaking संलग्न है।	Annexure-21
6.	प्रस्ताव के साथ संलग्न पृष्ठों को Numbering करना है एवं चेक लिस्ट भी तैयार कर Authorized Person का नाम मुहर के साथ हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न पृष्ठों को Numbering एवं चेक लिस्ट भी तैयार कर Authorized Person का नाम मुहर के साथ हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।	
7.	अपयोजित होने वाले भूमि में वन्य प्राणी / Eco Sensitive Zone क्षेत्र संलग्न नहीं है से संबंधित वचनबद्धता (Undertaking) प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-10
8.	वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।	वृक्षों की गणना सूची संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-20
9.	प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में प्लॉटवार लम्बाई एवं भारत सरकार द्वारा transmission लाईन निर्माण हेतु निर्धारित चौड़ाई अंकित होना अनिवार्य है।	प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में प्लॉटवार लम्बाई एवं भारत सरकार द्वारा transmission लाईन निर्माण हेतु निर्धारित चौड़ाई अंकित कर दिया गया है।	Annexure-16
10.	प्रस्ताव के साथ Minimum Use से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	Minimum Use से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-11
11.	प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित Geo-reference Map in Shape File एवं इस क्रम में तैयार किये गये फिचर संलग्न नहीं है जो अनिवार्य है।	प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित Geo-reference Map in Shape File एवं इस क्रम में तैयार किये गये फिचर संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-28
12.	प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-23
13.	प्रस्ताव के साथ Muck Disposal & Non use of the any forest produce से संबंधित वचनबद्धता (Undertaking) प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।	प्रस्ताव के साथ Muck Disposal & Non use of the any forest produce से संबंधित वचनबद्धता (Undertaking) प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-12

प्रमण्डल कार्यालय: विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, संचरण प्रमण्डल, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, प्रथम तल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स निकट मोंटफोर्ट स्कूल, कनहरी हिल रोड, हजारीबाग।

पंजीकृत कार्यालय: झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड भवन, कुसई कॉलोनी, डोरन्डा, राँची-

क्रम सं०	अपेक्षित	अनुपालन	अभियुक्ति
14.	प्रस्ताव के साथ Alternative route को दर्शाते हुए Minimum Use Forest Land से संबंधित ब्रेकअप प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।	प्रस्ताव के साथ Alternative route को दर्शाते हुए Minimum Use Forest Land से संबंधित ब्रेकअप प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।	Annexure-24R25

अतः उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव आपके कार्यालय में अग्रतर कार्यवाही हेतु समर्पित की जा रही है

अनु० यथोक्त

विश्वासभाजन
104/02/24
प्रबंधक,
संचरण अवर प्रमण्डल, चतरा।

प्रतिलिपि :- 1. वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ ।
2. उपमहाप्रबंधक, संचरण अंचल हजारीबाग को सूचनार्थ

प्रमण्डल कार्यालय: विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, संचरण प्रमण्डल, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, प्रथम तल, श्रृंगारी कॉम्पलेक्स निकट मोंटफोर्ट स्कूल, कनहरी हिल रोड, हजारीबाग।

पंजीकृत कार्यालय: झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड भवन, कुसई कॉलोनी, डोरन्डा, राँची-

834002



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक:- 186

दिनांक:- 12/01/2021

सेवा में,

श्री सुनील कुमार,
प्रबंधक (ट्रांसमिशन लाईन),
संचरण अवर प्रमंडल, हजारीबाग।

विषय:-

प्रस्तावित 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज द्विपद संचरण लाईन के अंतर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षों की प्रकृति एवं गणना सूची समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/JH/TRANS/50112/2020 Dated 06.11.2020 द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार की गई। जाँचोपरांत कतिपय त्रुटियाँ/आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं हैं, जो निम्नवत हैं:-

1. पार्ट- I के कंडिका B-1 में Proposal Submitted in past कॉलम में मात्र डाढ़ा ग्रीड सब स्टेशन निर्माण की स्वीकृति के पूर्ण विवरण अंकित है जबकि उनके अन्तर्गत 220के.भी. चतरा से पकरीबरवाडीह बकागाँव एन.टी.पी.सी. तक, चतरा से लातेहार तक एवं एदला में ग्रीड सब स्टेशन निर्माण इत्यादि इसी प्रमंडल अन्तर्गत पड़ने वाले परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है जिसकी विवरणी अंकित करना अनिवार्य था जो नहीं है। ऐसे ही हजारीबाग रीजन अन्तर्गत कई परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होगी जिसकी विवरणी भी अंकित करना अनिवार्य है।
2. पार्ट- I के कंडिका B-2.3 में अंकित मौजावार ब्रेकअप का अवलोकनोंपरांत पाया गया कि प्रारम्भ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से अन्त तक के क्रमवार में मौजावार ब्रेकअप अंकित नहीं है, अंकित किया जाय।
3. पार्ट- I के कंडिका C-(ii)(b) में इस प्रमंडल अन्तर्गत Number of Segment- One अंकित है जबकि Geo-reference Map एवं Cadastral Map पर दिखाये गये ट्रांसमिशन लाईन रूट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इसमें Number of Segment एक से अधिक है ऐसी स्थिति में Patchwar रकबा के साथ Number of Segment अंकित करते हुए KML file upload करना अनिवार्य है।
4. प्रस्ताव के साथ भारत/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त लगाया जायेगा जो मान्य होगा से संबंधित Undertaking संलग्न नहीं है।
5. अपयोजित वनभूमि में सन्निहित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ संलग्न पृष्ठों को Numbering करना है एवं चेक लिस्ट भी तैयार कर Authorized person का नाम मुहर के साथ हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है।
7. अपयोजित होने वाले भूमि में वन्य प्राणी/Eco sensitive zone क्षेत्र संलग्न नहीं है से संबंधित वचनबद्धता (Undertaking) प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
8. वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।
9. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में प्लॉटवार लंबाई एवं भारत सरकार द्वारा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु निर्धारित चौड़ाई अंकित होना अनिवार्य है।
10. प्रस्ताव के साथ Minimum Use से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित Geo-reference Map in Shape File एवं इस क्रम में तैयार किये गये फिचर संलग्न नहीं है जो अनिवार्य है।
12. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संलग्न नहीं है।

13. प्रस्ताव के साथ Muck Disposal & non use of the any forest produce से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।
14. प्रस्ताव के साथ Alternative route को दर्शाते हुए Minimum Use Forest Land से संबंधित ब्रेकअप प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।

अतः प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुये अनुरोध है कि उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वसभाजन

15.11.2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

12/11/2021